न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 19/2022

बउनवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

व्यवस्थापक, उचित मूल्य दुकानदार, जी.एस.एस. बमूलियाकलां, पंचायत समिति –अन्ता, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :–1. श्री रूपचन्द सिंघावत अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री बालमुकंद गुर्जर अभिभाषक (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 21.02.2023

1– प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम बमूलियाकलां, ग्राम पंचायत, बमूलियाकलां, पंचायत समिति, अन्ता पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 39.31 क्विंटल गेंहू गबन किये जाने पर राशि 28343/– रूपये वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र I प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2008 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए तथा जवाब इस आशय का पेश हुआ कि जी.एस.एस. बमूलियाकलां के नाम विशेष जांच दल सह–लेखा अधिकारी स्थानीय विधि अंकेक्षण विभाग जयपुर केम्प जिला कलेक्टर बारां की रिपोर्ट के आधार पर 28343/– रूपये की वसूली जिला रसद अधिकारी, बारां द्वारा दिनांक 16.05.2000 को नोटिस जारी किया जिसका जवाब अप्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी, ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद् बारां को दिया गया जिसमें प्रकरण की पुनः जांच की गई। सक्षम प्राधिकारी, ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद् बारां के आदेश कमतांक जि.प. /वसूली/2011/185–186 दिनांक 14.06[illegible] द्वारा बी.डी.ओ. अन्ता को जांच हेतु पत्र जारी किया गया जिसकी पालना में [illegible] जांच कर जांच रिपोर्ट पेश की जिसके आधार पर पुनः सक्षम प्राधिकारी [illegible] जिला परिषद् बारां के पत्रांक पी.डी.आर./वसूली/2011/[illegible] दिनांक [illegible]2011 को जी.एस.एस. [illegible] पंचायत बमूलियाकलां तहसील अन्ता के नाम बकाया राशि मात्र 10628/– [illegible] मय 13 प्रतिशत ब्याज जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध 28843/– रूपये हेतु प्रकरण दर्ज कराया गया है जो पूर्णतया विधि एवं नियमों के विपरीत है जी.एस.एस. बमूलियाकलां के विरूद्ध 10628/– रूपये ही वसूल किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलैक्टर बारां (राज०)
जिला कलक्टर बारां (राज०)

जाने योग्य है, जिसे अप्रार्थी बिना ब्याज जमा कराने को तत्पर है। अतः जवाब स्वीकार कर आदेश फरमावें।

4— जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

5— हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विशेष अंकेक्षण में 39.31 क्विं. गेंहू का गबन पाये जाने पर प्रार्थी के स्तर से कई बार नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा राशि 28343/— रूपये जमा नहीं करवाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

6— दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के जवाब के संबंध में पुनः जांच करवाकर सक्षम प्राधिकारी ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद बारां के पत्रांक पी.डी.आर./वसूली/2011/480 दिनांक 28.08.2011 से जारी संशोधित नोटिस की राशि 10628/— बिना ब्याज के जमा कराने को तत्पर है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व 28343/—वसूली हेतु जारी नोटिस निरस्त फरमा संशोधित वसूली राशि 10628/— बिना ब्याज जमा कराने के आदेश प्रदान करें।

7— हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पंचायत समितियों में संचालित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम की नवम्बर 1995 से नवम्बर 1997 की अवधि की विशेष अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में हेण्डलिंग एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदों से अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनों के आधार पर प्राप्त किये गये गेंहू की मात्रा में से समायोजन पश्चात शेष गेंहू की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि 28343/— रूपये निकाली गई है। अप्रार्थी द्वारा जारी नोटिस के जवाब के संबंध में पुनः जांच करवाकर सक्षम प्राधिकारी ए.सी.ई.ओ. जिला परिषद बारां के पत्रांक पी.डी.आर./वसूली/2011/480 दिनांक 28.08.2011 से जारी नोटिस की राशि 10628/— जमा कराने हेतु तत्पर है।

8— चूंकि प्रकरण में अप्रार्थी को प्रार्थी की ओर से एक ही प्रकरण में बकाया राशि 28343/— हेतु नोटिस क्रमांक जिप./पी.डी.आर./वसूली/09/1053 दिनांक 19.05.2010 एवं बकाया राशि 10628/— हेतु नोटिस क्रमांक जिप./पी.डी.आर./वसूली/2011/480 दिनांक 23.08.2011 दो भिन्न भिन्न राशि के नोटिस जारी किये गये हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि वास्तव में अप्रार्थी से वसूल किये जाने योग्य राशि कौनसी है।

9— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाकर प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय रेकार्ड की गहन जा[illegible]स्तविक वसूली योग्य राशि हेतु प्रकरण नये सिरे से तैयार [illegible] प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प[illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.03.28 15:35:54 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)